न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 170 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/183)
पंजीयन दिनांक– 22.03.2021
निर्णय दिनांक– 21.10.2021

1. श्री मोहम्मद अली पिता निजामुद्धिन मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री बशीर खां पिता कासम खां मुसलमान, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती रोशन बेवा सिराजुद्धिन मुसलमान, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
3. जमिला पुत्री सिराजुद्धिन मुसलमान, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
4. भुरी पुत्री सिराजुद्धिन मुसलमान, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
5. शकिना पुत्री सिराजुद्धिन मुसलमान, नाबालिग ब. विलायत प्राकृतिक संरक्षक माता रोशन बेवा सिराजुद्धिन, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
6. कालुडी पुत्री सिराजुद्धिन मुसलमान, नाबालिग ब. विलायत प्राकृतिक संरक्षक माता रोशन बेवा सिराजुद्धिन, निवासी काटुन्दा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती आशा बेवा मोहम्मद अली मुसलमान, निवसी बिछोर, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।

8. रेशमा पुत्री मोहम्मद अली मुसलमान, निवसी काटुन्दा, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संजय सैन – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 15.09.2020

निर्णय

दिनांक 21.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बेगू, के प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक 15.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 19.03.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि चांद खां पिता कासम खां मुसलमान, निवासी काटुन्दा ने प्रार्थी मोहम्मद अली पिता निजामुद्धिन मंसुरी, निवासी माण्डलगढ़ के नाम पर ग्राम काटुन्दा की भूमि का वसीयतनामा दिनांक 02.07.2012 को किया था। वसीयतनामा के आधार पर ग्राम काटुन्दा की खाता संख्या 218 आराजी नम्बर 2045/1066 रकबा 2.14 हैक्टेयर में से 1/4 स्थित है, जिसका इंतकाल अपीलांट के नाम खोलने का आदेश प्रदान करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने

प्रकरण संख्या 02/2017 दर्ज कर निर्णय दिनांक 15.09.2020 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.09.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— ***"पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, प्रार्थी एवं गवाहों के बयानात, रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत पत्र अनुसार नामांतरकरण हेतु खारिज किया जाता है। तथा मृतक खातेदार चांद खा के वैधानिक उत्तराधिकारियों की जांच कर चांद खां के नाम संयुक्त खाते की भूमि का नामांतरकरण चांद खां के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम दायर करने का निर्णय दिया जाता है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पक्ष में मृतक चांद खां के द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया हुआ है तथा उसकी सेवा चाकरी अपीलांट के द्वारा ही की गई है क्योंकि मृतक चांद खां के कोई जाइंदा संतान नही थी। उसकी दुसरी माता का पुत्र बशीर मोहम्मद था जिसने उसकी संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर रखा था एवं उसके हिस्से की भूमि से मेहरूम कर रखा था तथा चांद खां की पत्नि की मृत्यु के बाद चांद खां का जीवन पूर्णतया अपीलांट पर निर्भर था तथा अपीलांट ही उसकी सेवा चाकरी करता था एवं उसका अंतिम क्रियाकर्म भी अपीलांट द्वारा ही किया गया था। उसके सभी दस्तावेज भी अपीलांट के निवास स्थान के ही बने हुए है। चांद खां ने जीवन के 30 वर्ष अपीलांट के पास ही व्यतित किये थे उसकी सेवा चाकरी

से प्रसन्न होकर के चांद खां ने उसकी चल व अचल संपत्ति का मालीक अपीलांट को बनाया था तथा संपूर्ण परिस्थितियां अपीलांट के पक्ष में बया कर रखी थी। वसीयत सही है एवं इस पर कोई संदेह करने का कारण नही है। पटवारी को उपरोक्त वर्णित स्थिति का पता था, फिर भी उसके द्वारा जानबूजकर गलत रिपोर्ट पेश की। वसीयतनामा का निष्पादन 2 गवाहों की उपस्थित में किया गया था उन गवाहों के अधीनस्थ न्यायालय में बयान भी करवाये गये थे, उन्होनें वसियत की ताईद भी की थी। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वसीयत को साक्ष्य अधिनियम 68 के अुनसार उसके अनुप्रमाणित साक्ष्य के द्वारा ही उसको साबित किया जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में चांद खां पिता कासम खां ला–औलाद थे। चांद खां ने कभी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नही किया है एवं नही कानूनन पैतृक संपत्ति को उन्हें वसीयत करने का अधिकार ही था। अपीलांट मोहम्मद अली द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी, कूटरचित एवं बनावटी होकर षडयंत्र पूर्वक चांद खां के नाम की भूमि को हडपने की नियत से तैयार किया गया अवैध शून्य एवं जाली दस्तावेज है, जिसके आधार पर अपीलांट किसी तरह की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है। भूमि वर्षो से रेस्पोडेंट बशीर के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट की अपील वेग मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं नियमानुसार होकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.09.2020 को हुआ था जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 19.03.2021 को प्रस्तुत की है । अपील के साथ दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय लॉकडाउन में प्रार्थी की अनुपस्थिति में, उसको बिना सुने, उसकी बिना जानकारी के पारित कर उसके प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी

अपीलाण्ट को उसके अपने ही अधिवक्ता से हुई, इसलिए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावें। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 11.09.2020 एवं निर्णय दिनांक 15.09.2020 को प्रार्थी व अप्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, तद्नुसार अपीलाण्ट को आलौचय निर्णय की पूर्व जानकारी होने के तथ्य उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट के दफा 5 के आवेदन व अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर न्यायहित में मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में उभय पक्षों के द्वारा किये गये लिखित व मौखिक अभिकथन तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक चांद खां की कृषि आराजीयात को अपने नाम करवाने का आवेदन किया था व उसके विरूद्ध रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्राकृतिक विरासत से भूमियां अपने नाम करवाने का आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.09.2020 से वसीयत को संदिग्ध माना एवं प्राकृतिक विरासत के आधार पर नामान्तकरण खोलने का आदेश दिया है। अपीलाण्ट का अपील में यह कथन है कि वसीयत संदिग्ध नहीं है व उस पर संदेह का कोई कारण नहीं है। वसीयत के स्टाम्प पर लगी दिनांक का विवाद नहीं है क्योंकि उसने अपील के दौरान स्टाम्प वेण्डर का रजिस्टर प्रस्तुत कर स्टाम्प 2012 में ही जारी होना बताया है तो वसीयत के अनुरूप ही नामान्तकरण किया जाना चाहिये था। हम उभय पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा वसीयत अपंजीकृत है तथा अपंजीकृत वसीयतों के बाबत् रेस्पोंडेण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर आर.एन.डब्ल्यू. 2005(1) आर.जे. तथा आर.आर.डी. फरवरी, 2005 पेज 87 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण जो कि एक वित्तीय प्रक्रिया है उसे मान्यता नहीं देकर नियमित वाद ही किये जाने के न्यायिक विनिश्चयन उपलब्ध है तथा अब यह स्थापित विधि है कि यदि अपंजीकृत वसीयत है तो विवाद होने की स्थिति में प्राकृतिक विरासत

को ही मान्यता दी जानी चाहिये। प्रकरण में पक्षकारान मुस्लिम उत्तराधिकार विधि से शासित होते हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार खातेदारी अधिकारों का वसीयती या अन्य प्रकार का उत्तराधिकार उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही शासित होने का वर्णन है। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी खातेदार अपने सम्पूर्ण हितों की वसीयत नहीं कर सकता, तद्नुसार इस प्रकरण में वसीयत की वैद्यता की पूर्ण जांच भी किया जाना वांछनीय है, तद्नुसार इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वसीयत को मान्यता नहीं देकर प्राकृतिक उत्तराधिकार को वरीयता दी है, उस निर्णय में हम किसी प्रकार की नामान्तकरण के निर्णय की हद तक जो वित्तीय प्रक्रिया होती है, कोई अनियमितता नहीं पाते एवं तद्नुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाण्ट चाहे तो अपने हक, अधिकारों के लिए नियमित वाद दायर कर अपने हक, अधिकारों की घोषणा करवाने को स्वतंत्र है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर